M&TP/DY-No-961

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 14th day of March, 2015

INCOME-TAX

S.O..- In exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and(9A) of section 92CC read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1). These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2015.
(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), -

(a) in rule 10 F,-
(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :-
"(ba) "applicant" means a person who has made an application;";

(ii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :-
"(ha) "rollback year" means any previous year, falling within the period not exceeding four previous years, preceding the first of the previous years referred to in sub-section (4) of section 92CC;";

(b) in rule10 H, in sub-rule (1),-

(i) for the word "Every" the word "Any" shall be substituted;

(ii) for the word "shall" the word "may" shall be substituted;

(c) in rule 10 I, for the words, figures and letter "who has entered into a pre-filing consultation as referred to in rule 10H", the words, figures and letter "referred to in rule 10 G" shall be substituted;

(d) in rule 10 K, in sub-rule (2) after the words "with understanding reached in", the word "any" shall be inserted;

(e) in rule 10 M, in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(va) rollback provision referred to in rule 10 MA;";

(f) after rule 10 M, the following rule shall be inserted, namely:-

"**Roll Back of the Agreement.**

10 MA. (1) Subject to the provisions of this rule, the agreement may provide for determining the arm's length price or specify the manner in which arm's length price shall be determined in relation to the international transaction entered into by the person during the rollback year (hereinafter referred to as "rollback provision").

(2) The agreement shall contain rollback provision in respect of an international transaction subject to the following, namely:-

(i)theinternational transaction is same as the international transaction to which the agreement (other than the rollback provision) applies;

(ii) the return of income for the relevant rollback yearhas been or is furnished by the applicant before the due datespecified in Explanation 2 to sub-section (1) of section 139;

(iii) the report in respect of the international transaction had been furnished in accordance with section 92E;

(iv) the applicability of rollback provision, in respect of an international transaction,has been requested by the applicant for all the rollback years in which the said international transaction has been undertaken by the applicant;and

(v) the applicant has made an application seeking rollback in Form 3CEDA in accordance with sub-rule (5);

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), rollback provision shall not be provided in respect of an international transaction for a rollback year, if,-

(i) the determination of arm's length price of the said international transaction for the said year has been subject matter of an appeal before the Appellate Tribunal and the Appellate Tribunal has passed an order disposing of such appeal at any time before signing of the agreement; or

(ii) the application of rollback provision has the effect of reducing the total income or increasing the loss, as the case may be, of the applicant as declared in the return of income of the said year.

(4) Where the rollback provision specifies the manner in which arm's length price shall be determined in relation to an international transaction undertaken in any rollback year then such manner shall be the same as the manner which has been agreed to be provided for determination of arm's length price of the same international transaction to be undertaken in any previous year to which the agreement applies, not being a rollback year.

(5) The applicant may, if he desires to enter into an agreement with rollback provision, furnish along with the application, the request for the same in Form No. 3 CEDA with proof of payment of an additional fee of five lakh rupees:

Provided that in a case where an application has been filed prior to the 1st day of January, 2015, Form No. 3CEDA along with proof of payment of additional fee may be filed at any time on or before the 31st day of March, 2015 or the date of entering into the agreement whichever is earlier:

Provided further that in a case where an agreement has been entered into before the 1st day of January, 2015, Form No. 3CEDA along with proof of payment of additional fee may be filed at any time on or before the 31st day of March, 2015 and, notwithstanding anything contained in rule 10 Q, the agreement may be revised to provide for rollback provision in the said agreement in accordance with this rule.";

(g) in rule 10 R, in sub-rule (1), in clause (iv), after the words, brackets, figures and letter "under sub-rule (4) of rule 10Q", the words, brackets, figures and letters "or sub-rule (7) of rule 10 RA" shall be inserted;

(h) after rule 10 R, the following rule shall be inserted, namely:-

"Procedure for giving effect to rollback provision of an Agreement.

10 RA.(1) The effect to the rollback provisions of an agreement shall be given in accordance with this rule.

(2) The applicant shall furnish modified return of incomereferred to in section 92CD in respect of a rollback year to which the agreement applies along with the proof of payment of any additional tax arising as a consequence of and computed in accordance with the rollback provision.

(3) The modified return referred to in sub-rule(2) shall be furnished along with the modified return to be furnished in respect of first of the previous years for which the agreement has been requested for in the application.

(4) If any appeal filed by the applicant is pending before the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or the High Court for a rollback year, on the issue which is the subject matter of the rollback provision for that year, thesaid appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn by the applicant before furnishing the modified return for the said year.

(5) If any appeal filed by the Assessing Officer or the Principal Commissioner or Commissioner is pending before the Appellate Tribunal or the High Court for a rollback year, on the issue which is subject matter of the rollback provision for that year, the said appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn by the Assessing Officer or the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, within three months of filing of modified return by the applicant.

(6) The applicant, the Assessing Officer or the Principal Commissioner or the Commissioner,shall inform the Dispute Resolution Panel or the Commissioner (Appeals) or the Appellate Tribunal or the High Court, as the case may be, thefact of an agreement containing rollback provision having been entered into along with a copy of the same as soon as it is practicable to do so.

(7) In case effect cannot be given to the rollback provision of an agreement in accordance with this rule, for any rollback year to which it applies, on account of failure on the part of applicant, the agreement shall be cancelled.";

(i) in Appendix-II of the principal rules,-

(A) in Form No. 3CEC, in item 10, after the words, "Number of years for which APA is proposed to be applied", the words "including the rollback years" shall be inserted;

(B) in Form No. 3CED, in item 5, after sub-item (e), the following shall be inserted, namely:-

"f. whether any rollback request is being made .	Yes/No
g. If yes, enclose copy of relevant Form No. 3CEDA.";	

(C) after Form No. 3CED, following Form shall be inserted, namely: -

"Form No. 3 CEDA
(See sub-rule (5) of rule 10 MA)
Application for rollback of an Advance Pricing Agreement

To,
The Competent Authority of India
or
Director General of Income Tax (International Taxation)
New Delhi
Sir/Madam,

This is to state that............................ (Name of the Applicant)......wishes to negotiate an APA with the Central Board of Direct Taxes containing rollback provision. I am submitting herewith the necessary particulars hereunder:

1. Particulars of the applicant:
   (a) Full name of the applicant:
   (b) Permanent Account Number:
   (c) Address of the applicant:

   (d) Address for communication:

   (e) Location(s) of the business enterprises in India:

   (f) Email id and the contact numbers of the person with whom correspondence is required to be made:

   (g) Names and designation of the authorised representatives who would be appearing before the authorities for negotiations of the APA:

2. Whether pre-filing discussions in respect of rollback were sought by the applicant? If yes, please furnish:

   (a) Date of application for pre-filing meeting:
   (b) Date of pre-filing meeting(s) with the APA Team:

3. Whether application in Form 3CED is being filed simultaneously:
4. Details of international transaction(s) including Name(s) of the Associated Enterprises in respect of which rollback is requested for:

5. Whether the international transaction(s) is the same as that in respect of which APA request is being made in Form 3CED by the applicant:

6. Particulars of additional Fee paid by the applicant: Amount in Rs.
   Challan No:
   Dated:

7. The details of previous years for which rollback is being sought:

8. Has the same international transaction been undertaken in any other year for which rollback is permissible but the same is not being requested for. If yes, the reasons for the same be provided:

9. Period of APA proposed along with the date from which APA is sought to be made applicable in the application in Form 3CED:

10. Whether return of income for all the previous years mentioned in 7 above have been furnished on or before the due date: Yes/No

11. If yes, provide details including acknowledgement No., date of furnishing etc.

12. Whether audit report under section 92 E in respect of the international transaction referred to in 4 above for all the previous years mentioned in 7 above have been furnished on or before the due date: Yes/No

13. If yes, provide details including date of furnishing etc.

14. Details of pending proceedings including appeals for the years mentioned in 7 above in respect of international transaction(s) mentioned in 4 above :

15. Whether Appellate Tribunal has disposed of any appeal in respect of international transaction mentioned in 4 above for any of the years mentioned in 7 above? if yes, then details may be provided:

I declare that the information furnished in the application is correct and truly stated.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Applicant

Notes:

1. The Form shall be filed along with an application in Form 3CED for entering into an APA.

2. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These enclosures should be signed by the person authorised to sign the application in Form 3CED.

3. The Form shall be accompanied with proof of having paid fee of five lakh rupees. This fee is in addition to any fee payable along with Form 3CED.

4. The application shall be accompanied by all the relevant documents.".

[Notification No. 23/2015/ F.No.142 /14/2014-TPL]

(Amit Katoch)
Under Secretary (Tax Policy and Legislation-I)

Note. - The principal rules were published vide notification No. S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (Second Amendment) Rules, 2015 vide notification number S.O. 350 (E), dated 04-02-2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 14 मार्च, 2015

आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गग की उपधारा (9) और उपधारा (9क) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,--

(क) नियम 10च में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खक) "आवेदक" से कोई व्यक्ति, जिसने आवेदन किया है, अभिप्रेत है ;";

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(जक) "रोलबैक वर्ष" से धारा 92गग की उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष के पहले पूर्व चार पूर्व वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर आने वाला कोई पूर्व वर्ष अभिप्रेत है ;";

(ख) नियम 10ज के उपनियम (1) में,--

(i) "प्रत्येक" शब्द के स्थान पर "कोई" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "करेगा" शब्द के स्थान पर "कर सकेगा" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) नियम 10झ में "जिसने नियम 10ज में यथानिर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श किया है", शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर "जिसने नियम 10ज में यथानिर्दिष्ट" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) नियम 10ट के उपनियम (2) में, "निर्दिष्ट परामर्श से पूर्व", शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्दिष्ट परामर्श से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) नियम 10ङ के उपनियम (1) के खंड (V) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(Vक) नियम (ङक) में निर्दिष्ट रोलबैक उपबंध ;" ;

(च) नियम 10ङ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"करार का रोलबैक

10ङक.(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संनिकट कीमत को अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा करार या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके रोलबैक वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् रोलबैक उपबंध कहा गया है) के दौरान व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत अवधारित होगी ।

(2) करार में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :--

(i) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार समान होगा, जिसे करार (रोलबैक उपबंध से भिन्न) लागू होगा ;

(ii) धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट देय तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा संबंधित रोलबैक वर्षों के लिए आय की विवरणी होगी या देनी होगी ;

(iii) धारा 92ङ के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी ;

(iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध का लागू होना, रोलबैक वर्षों में सभी के लिए आवेदक द्वारा अनुरोध करना होगा जिसे उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार आवेदक द्वारा किया गया था ; और

(V) आवेदक को उपनियम (5) के अनुसरण में प्ररुप 3गङघक में रोलबैक प्राप्ति करने के लिए कोई आवेदन करेगा ;

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपबंधित नहीं होगा, यदि,--

(i) उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार सन्निकट कीमत का अवधारण अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील की विषय-वस्तु रही है और अपील अधिकरण द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी समय पर ऐसी अपील को निस्तारण करने वाला कोई आदेश पारित किया है ; या

(ii) रोलबैक उपबंध लागू होने का प्रभाव उक्त वर्ष में आय की विवरणी में घोषित यथा आवेदक के, यथास्थिति, कुल आय या हानि को बढ़ाने वाले से कमी करने का प्रभाव का होगा ।

(4) जहां रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष में किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित सन्निकट कीमत को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करता है जहां वह ऐसी रीति में समान रीति के रूप में होगी जिसे उसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए उपलब्ध कराने को सहमत पाई गई थी जिसे करार में किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया था, रोलबैक वर्ष में नहीं होगी ।

(5) आवेदक, यदि वह रोलबैक उपबंध के साथ किसी करार को करने की वांछा रखता है, आवेदन के साथ पांच लाख रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ प्ररुप सं. 3गङधक में उसका अनुरोध करेगा :

परंतु किसी दशा में, जहां आवेदन 1 जनवरी, 2015 से पूर्व 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व या करार में प्रवेश की तारीख, जो भी पूर्वत्तर हो, को अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में नियम 10ठ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां करार 1 जनवरी, 2015 से पूर्व किया गया है, प्ररुप सं. 3गङधक को 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किसी समय अतिरिक्त फीस के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा और इस नियम के अनुसरण में उक्त करार के रोलबैक उपबंध के लिए करार को पुनरीक्षित कर सकेगा ।";

(छ) नियम 10द के उपनियम (1) के खंड (iv) में, "नियम 10ठ के उपनियम (4)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या नियम 10दक के उपनियम (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ज) नियम 10द के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"किसी करार के रोलबैक उपबंधों को प्रभाव देने के लिए प्रक्रिया

10दक(1) किसी करार के रोलबैक उपबंधों का प्रभाव इस नियम के अनुसरण के अनुसार होगा ।

(2) आवेदक किसी रोलबैक वर्ष के संबंध में, जिसमें रोलबैक उपबंधों के अनुसरण में परिणामस्वरूप और उसकी गणना के रूप में उत्पन्न कोई अतिरिक्त कर के संदाय के सबूत के साथ लागू करार धारा 92गघ में निर्दिष्ट आय की उपांतरित विवरणी देने होगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट उपांतरित विवरणी, आवेदन में जिस करार के लिए अनुरोध किया गया है, के लिए पूर्ववर्ती वर्षों के पहले के संबंध में दी गई उपांतरित विवरणी के साथ होगी ।

(4) यदि आवेदक द्वारा किसी रोलबैक वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई कोई अपील, इस मुद्दे पर, जिसमें उक्त वर्ष के लिए रोलबैक उपबंध की विषय सामग्री है, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, उक्त वर्ष के लिए उपांतरित विवरणी देने से पूर्व आवेदक द्वारा वापिस लेना होगा जिस करार के अधीन आने वाले विषय का विस्तार उक्त अपील में है ।

(5) यदि निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा फाइल की गई कोई अपील किसी रोलबैक वर्ष के लिए अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त वर्ष के लिए, जिसकी विषय-वस्तु रोलबैक उपबंध है, पर लंबित है, आवेदक द्वारा उपांतरित विवरणी फाइल करने के तीन मास के भीतर, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा वापिस लेना होगा जिस करार के अधीन आने वाले विषय का विस्तार उक्त अपील में है ।

(6) आवेदक, निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त, रोलबैक उपबंध के लिए किए गए करार के तथ्य को, यथास्थिति, विवाद समाधान पैनल या आयुक्त (अपील) या उच्च न्यायालय के समक्ष, यथाशाध्यशीघ्र करार की एक प्रति के साथ जानकारी देगी ।

(7) इस नियम के अनुसार किसी करार के रोलबैक उपबंध को प्रभाव नहीं दिए जा सकने की दशा में किसी रोलबैक वर्ष के लिए, जिसमें यह लागू होता है, जो आवेदक की ओर से असफलता के कारण है, करार निरस्त होगा ।" ;

(झ) मूल नियम के उपाबंध (2) में,--

(अ) प्ररुप 3गङग में, मद सं. 10 में, "वर्षों की सं. जिनके लिए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन का प्रस्ताव है" के पश्चात् "जिसके अंतर्गत रोलबैक वर्ष भी हैं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) प्ररुप 3गङघ में, मद सं. 5 में उपमद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) क्या किसी रोलबैक का अनुरोध किया गया है हां/नहीं

(छ) यदि हां, तो सुसंगित प्ररुप सं. 3गङघक की प्रति संलग्न करें ।";

(इ) प्ररुप सं. 3गङघ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप सं. 3गङघक"

नियम 10ङक उन नियम (5) देखें

अग्रिम कीमत निर्धारण करार के रोल बैक के लिए आवेदन

सेवा में,

भारत का समक्ष प्राधिकारी

या

महानिदेशक, आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान),

नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया,

यह कथन करना है कि .... (आवेदक का नाम) केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सथ रोल बैक उपबंध अन्तर्विष्ट करने वाले अग्रिम कीमत निर्धारण कराने पर बातचीत करना चाहता है । मैं आवश्यक विशिष्टियां इसके साथ नीचे प्रस्तुत कर रहा हैं :-

1. आवेदक की विशिष्टियां :

   (क) आवेदक का पूरा नाम:

   (ख) स्थायी लेखा संस्थान:

   (ग) आवेदक का पता:

   (घ) पत्र व्यवहार का पता :

   (ड.) भारत में कारबार उद्यमों अवस्थिति (यां)

   (च) उस व्यक्ति की, जिसके साथ पत्र व्यवहार किया जाना है, ई मेल पहचान और संपर्क नंम्बर संख्या । (छ) उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम और पदाभिधान जो अग्रिम कीमत निर्धारण करार की बातचीत के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपसंजात होंगे:-

2. क्या आवेदक ने रौल बैक के संबंध में फाइल करने से पूर्व चर्चा करने का अनुरोध किया था । यदि हां, तो कृपया बताए :-

   (क) फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन की तारीख :

3. क्या प्ररूप 3गङघ मे आवेदन साथ-साथ फाइल किया जा रहा है।

4. अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार (संव्यवहारों) के ब्यौरे जिनके उन सहायुक्त उद्यमों के नाम भी हैं जिनके संबंध में रौल बैक के लिए अनुरोध किया गया है:

5. क्या अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है (हैं) जिनके संबंध में आवेदक द्वारा अग्रिम कीमत निर्धारण करार का अनुरोध प्ररूप 3गङघ में किया जा रहा है :

6. आवेदक द्वारा संदत्त अतिरिक्त फीस की विशिष्टियां: रकम रूपए चालान सं. तारीख :

7. पूर्ववर्ती वर्षों के ब्यौरे जिनके लिए रोल बैक का अनुरोध किया गया है ।

8. क्या किसी अन्य वर्ष में वही अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है जिसके लिए रौल बैक अनुज्ञेय है किन्तु उसी के लिए अनुरोध नहीं किया जा रहा है । यदि हां, तो उसके लिए कारण बताए:

9. तारीख सहित अग्रिम कीमत विचारर्ण करार की अवधि जिससे प्ररूप 3गङघ आवेदन में कीमत निर्धाण करार का अनुरोध किया गया है ।

10. उपर 7 में उल्लिखित सभी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयकर विवरणी देय तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की गई है : हां/नहीं

11. यदि हां, तो अभिस्वीकृति सं., प्रस्तुत करने की तारीख सहित ब्यौरे दें ।

12. क्या उपर 7 में उल्लिखित सभी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपरोक्त 4 में निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत धारा 92ङ के अधीन संपरिक्षा रिपोर्ट देय तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत कर दी गई है । हां/नहीं

13. यदि हां, तो प्रस्तुत करने की तारीख आदि सहित बताएं ।

14. उपर 4 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार (सें) के संबंध में उपर 7 में उल्लिखित वर्षों के लिए अपीलों सहित लंबित कार्यवाहियों के ब्यौरे :

15. क्या अपील अधिकरण ने ऊपर 7 में उल्लिखित वर्षों में से किसी वर्ष के लिए ऊपर 4 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में किसी अपील का निपटारा किया है, यदि हां, तो ब्यौरा दें ।

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई जानकारी का सही और सत्यतापूर्वक कथन किया गया है ।

भवदीय,

स्थान :

तारीख:

आवेदक

टिप्पण:-

1. कीमत निर्धारण करार करने के लिए प्ररूप 3गङघ में किसी आवेदन के साथ प्ररूप फाइल किया जाएगा ।
2. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया जाए । ये संलग्नक प्ररूप 3गङघ में आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं ।
3. प्ररूप के साथ पांच लाख रूपये की फीस का संदाय किए जाने का सबूत संलग्न होगा । यह फीस प्ररूप 3गङघ के साथ संदेय किसी फीस के अतिरिक्त है ।
4. आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे ।"

{अधिसूचना संख्या 23 /2015/फा.सं. 142/14/2014-टीपीएल }

(अमित कटोच)
अवर सचिव (कर नीति और विधान-I)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का आ-969(अ) तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ 350 (अ) तारीख 04/02/2015 द्वारा आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।